प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 5944/2005

याचिकाकर्ता : श्याम लाल सराफ पिता स्वर्गीय श्री बलभद्र सराफ, आयु लगभग 75 वर्ष, व्यवसाय– कृषक, निवासी–गाँव बमनीडीह, तहसील और जिला–जांजगीर – चांपा (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छ०ग० राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)
2) जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर, जिला कोरबा (छ०ग०)
3) पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ०ग०)
4) थाना प्रभारी, पुलिस थाना बाल्को नगर, जिला कोरबा (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री एफ. एस. खरे, अधिवक्ता ।
: राज्य के लिए श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 13 जनवरी, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता नागेश सराफ नामक व्यक्ति के पिता हैं। नागेश सराफ के पास 22 बोर क्र. 42281 राइफल बंदूक का लाइसेंस था। नागेश सराफ की मृत्यु दिनांक 15.05.1997 को हुई थी। यहां तक कि उनकी मृत्यु से पहले, कतिपय आपराधिक कार्यवाहियों में , जिला दंडाधिकारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को बंदूक सौंप दी गई थी। नागेश सराफ की मृत्यु की तिथि के बाद बंदूक जिला दण्डाधिकारी की अभिरक्षा में है।

(2) नागेश सराफ के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.05.1997 को जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, बिलासपुर को एक आवेदन दिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसके बेटे को पहले दिए गए लाइसेंस को उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाए और बंदूक उसे वापस कर दी जाए। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर, बिलासपुर ने याचिकाकर्ता के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति में, यह रिट याचिका इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए दायर की गई है।

(3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात्, मुझे ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं दिखता जिससे कि याचिकाकर्ता अपने पुत्र को पूर्व में दिए गए लाइसेंस को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर से परमादेश प्राप्त करे। यदि याचिकाकर्ता स्वतंत्र रूप से हथियार चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र आवेदन करना होगा तथा किसी भी अनुमेय आधार पर हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। याचिकाकर्ता के बेटे नागेश सराफ को दी गई बन्दुक विरासत में मिलने वाली संपत्ति या अधिकार नहीं है। उक्त संक्षिप्त आधार पर, रिट याचिका खारिज की जाती है। तथापि, यह आदेश याचिकाकर्ता को हथियार रखने के लिए नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वतंत्र आवेदन करने से नहीं रोकेगा। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सुब्बु

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur